

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक ०१-११-१२

— आदेश :—

डॉ० पृथ्वीराज, आई.ए.एस. परियोजना निदेशक, राजस्थान अरबन इन्कास्ट्रक्चर डबलफेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 10/2012 एवं सेवानिवृति दिनांक 31.8.2032 है को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.10.2012 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 1/7 के स्थान पर 1/6 मांधीनमार, जयपुर का नियमानुसार किया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा 'आवंटन' किया जाता है :—

शर्तः—


1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से ४ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किसाये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक मह मध्यांतर आवास रिक्त करना होगा।
5. रवय तथा पल्नी/वच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. छूकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से ४ दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की सामाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किया भला थिए उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आठरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से ४ दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किया भला बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाधी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवय/पल्नी व उन पर आन्तिक किरी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राजस्थान की आद्या से,

(मनकूल बैरवा)
शोरण सहायक सचिव

प्रतिलिपि निभांवित को सूकनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही डेट्रू प्रेषित है :—

6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम कराएं।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविं/जन स्वास्थ्यभिविं/जयपुर विविनिगम लि०, गांधीनगर जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कायवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अनल में लावें।
12. डॉ० पृथ्वीराज, आई.ए.एस. परियोजना निदेशक, राजस्थान अरबन इंशास्ट्रक्चर डिवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर।
13. श्री आर. पी. जैन, सेवानिवृत्त आई.ए.एस., निवासी राजकीय आवास संख्या १/७, गांधीनगर, जयपुर।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर को उनकी डायरी संख्या ९२२७/सीएस/॥/१२ दिनांक १२.१०.२०१२ के क्रम में।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावलो।


(मनेकल बेराओ)
शासन सहायक सचिव